

15
(TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE
GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 12th Nov. 2014

NOTIFICATION

S.O.....In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Dr. Hasmukh Adhia, Secretary, Department of Financial Services as Member of the said Corporation vice Shri Gurdial Singh Sandhu, with immediate effect till further orders.

(F.No. 14/3/2003-Ins.IV)



(N. Srinivasa Rao)
Director (Insurance)

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के भाग-॥ खंड 3 - उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली 12 नवम्बर 2014

अधिसूचना

का० आ० जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, डा. हसमुख अधिया, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को श्री गुरदयाल सिंह संधू के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक उक्त निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

(फा स 14/3/2003-बीमा-iv)

श्रीनिवास राव

(एन. श्रीनिवास राव)
निदेशक (बीमा)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली ।